संख्या - 85/2022/4128/58-1-2022-54-2099/274/2020

प्रेषक,

अनामिका सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2022

विषयः- आंगनवाड़ी केन्द्रों में ई0सी0सी0ई0 (शाला पूर्व शिक्षा) गतिविधियों के नियमित संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

यह विदित है कि बच्चों के 90 प्रतिशत मस्तिष्क का विकास 06 वर्ष की आयु तक (प्रारम्भिक बाल्यावस्था में) पूर्ण हो जाता है। इस दौरान उनका समग्र विकास तीव्र गति से होता है। इस अवधि में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छी देखभाल एवं पौष्टिक खान-पान के साथ-साथ बेहतर ई0सी0सी0ई0 (शाला पूर्व शिक्षा) की आवश्यकता होती है। स्कूल रेडीनेस के दृष्टिकोण से प्रारम्भिक साक्षरता और संख्यात्मक कौशल की वृद्धि हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 03-06 वर्ष तक के बच्चों को ई0सी0सी0ई0 की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा ई0सी0सी0ई0 के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं बच्चों के प्रयोग के लिए विभिन्न शिक्षण/खेल सामग्रियां उपलब्ध करायी गयी हैं, जो निम्नवत हैं -

1. **वार्षिक गतिविधि कैलेण्डर-**मासिक थीम आधारित कैलेण्डर, जिसमें दैनिक खेल आधारित एवं आयु अनुसार गतिविधियों को ई.सी.सी.ई. मैनुअल के साथ लिंक किया गया है, ताकि आंगनवाड़ी कार्यकत्री उसका प्रयोग सुगमता से कर सके।
2. **पहल पुस्तिका**-आंगनवाड़ी कार्यकत्री के प्रयोग हेतु ई.सी.सी.ई. मैनुअल के रूप में पहल पुस्तिका विकसित की गयी है, जिसमें ई.सी.सी.ई. गतिविधियों के संचालन के अतिरिक्त पी.टी.एम., फील्ड विज़िट, वार्षिक उत्सव, "कम लागत/बिना लागत" टी.एल.एम. के निर्माण आदि पर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
3. **बाल गतिविधि पुस्तिका-** विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार (3-4 वर्ष, 4-5 वर्ष और 5-6 वर्ष) के बच्चों हेतु पृथक-पृथक गतिविधि पुस्तिकाएं उपलब्ध करायी गई हैं।
4. **एन.बी.टी. प्रकाशित 07 किताबों का सेट -**बच्चों के प्रयोग हेतु रंगीन चित्रों से युक्त रोचक 06 बाल कहानियां एवं कार्यकत्री हेतु "कम लागत/बिना लागत" टी.एल.एम. निर्माण पर पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं।
5. **प्री-स्कूल किट-** खेल आधारित गतिविधियों के संचालन हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्री-स्कूल किट उपलब्ध करायी गयी हैं, जिसमें प्रति सेट कुल 13 सामग्रियां यथा-बिल्डिंग ब्लाक्स, पजल सेट, पिक्चर फ्लैस कार्ड, स्लेट, रंगीन चाक, क्रेयान्स, ढपली,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हिन्दी/अंग्रेजी वर्णमाला चार्ट, प्लास्टिक की हिन्दी/अंग्रेजी वर्णमाला, मोतियों की माला, कैंची, गोंद एवं ट्रंक सम्मिलित हैं।

6. **ई-संसाधन-** ई-संसाधन के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के प्रयोग एवं क्षमतावर्धन हेतु ई.सी.सी.ई. के विभिन्न पहलुओं पर 07 वीडियो एवं एन.बी.टी. की कहानी पुस्तकों पर आधारित 06 आडियो बुक्स बनाई गई हैं। उक्त के अतिरिक्त विभाग का यू-ट्यूब चैनल (ICDS UTTAR PRADESH) है।

7. **बाल पिटारा मोबाइल ऐप -**आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों हेतु बाल पिटारा मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसमें 03 माडयूल्स हैं :-
   a. **परवरिश का पिटाराः** अभिभावकों द्वारा बच्चों के साथ ई0सी0सी0ई0 गतिविधियॉं करने, उनको कहानी सुनाने एवं भावगीत कराने हेतु वीडियो उपलब्ध कराई जा रही हैं।
   b. **बच्चों का डाटाबेस एवं मूल्यांकनः** केंद्र पर पंजीकृत बच्चों के अधिगम स्थिति (Learning Status) एवं केंद्र से प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश को ट्रैक करने हेतु बच्चों का डाटाबेस बनाया जा रहा है, जिसके उपरान्त बच्चों का त्रैमासिक मूल्यांकन किया जाना है।
   c. **ई0सी0सी0ई0 रिसोर्स माड्यूलः** आंगनवाड़ी कार्यकत्री को ई0सी0सी0ई0 संचालन में सुगमता प्रदान करने हेतु ई0सी0सी0ई0 सम्बन्धित ई-पुस्तकें एवं आडियो-वीडियो संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं।

8. **यूनीलर्न उत्तर प्रदेश एपः** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित 14 माड्यूल पर e-ILA सर्टिफिकेशन कोर्स उक्त एप के माध्यम से उपलब्ध है, जो आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के साथ ही अन्य फील्ड स्तरीय विभागीय अधिकारियों की क्षमतावर्धन में सहायक है।

9. उक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध विभिन्न खेल/शिक्षण सामग्रियों एवं पुस्तकालय की सुविधाएं भी केन्द्र के बच्चों (03 से 06 वर्ष) हेतु उपलब्ध हैं।

2- शाला पूर्व शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त संसाधनों के नियमित उपयोग के लिए ई.सी.सी.ई. का न्यूनतम 03 घण्टे का निर्धारित सत्र आवश्यक है। उपलब्ध खेल/पाठ्य सामग्री एवं अन्य संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में कार्यकत्री हेतु केन्द्र संचालन के सम्बन्ध में माह में सप्ताहवार कराई जाने गतिविधियों हेतु दिनचर्या निम्नवत् निर्धारित की जा रही है:-

(i) **सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार** -03 घण्टे शाला पूर्व शिक्षा का कार्यक्रम।

(ii) **मंगलवार-**शालापूर्व शिक्षा के सत्र के पश्चात निर्धारित समुदाय आधारित गतिविधियॉं (सी0बी0ई0)।

(iii) **माह का तीसरा मंगलवार-**शाला पूर्व शिक्षा में पंजीकृत बच्चों के अभिभावकों के साथ पी.टी.एम. का आयोजन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iv) **बुधवार एवं शनिवार-** माईक्रोप्लान के अनुसार निर्धारित ग्राम्य स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) की गतिविधियाँ आयोजित की जायेंगी। जिन केन्द्रों पर वी.एच.एस.एन.डी. माईक्रोप्लान के अनुसार निर्धारित नहीं है, उन केन्द्रों पर शाला पूर्व शिक्षा का नियमित सत्र आयोजित किया जायेगा।

दैनिक दिनचर्याः

दिवस	समयावधि	दैनिक गतिविधियाँ	विवरण
सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार	कुल 03 घण्टे	प्री-स्कूल शिक्षा (ई0सी0सी0ई0)।	
	30 मिनट	प्रथम चक्र	स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता जाँच, उपस्थिति, कैलेण्डर की गतिविधि, नियम पढ़ना, ताजा खबर/समाचार, थीम आधारित वार्तालाप कराए जाएंगे।
	60 मिनट	दूसरा चक्र	**स्वतंत्र खेल एवं निर्देशित गतिविधियों का समय -** बच्चों को पहल पुस्तिका एवं गतिविधि कैलेण्डर में दिए गए समय-सारणी के अनुसार गतिविधियाँ करायी जाएंगी।
	30 मिनट	तीसरा चक्र	**बाहरी खेल का समय-**बच्चों को पहल पुस्तिका एवं गतिविधि कैलेण्डर में दिए गए समय-सारणी के अनुसार गतिविधियाँ करायी जाएंगी।
	30 मिनट	चौथा चक्र	**विद्यालय की तैयारी एवं रचनात्मक कार्य का समय-**बच्चों को पहल पुस्तिका एवं गतिविधि कैलेण्डर में दिए गए समय-सारणी के अनुसार गतिविधियाँ करायी जाएंगी।
	30 मिनट	पांचवाँ चक्र	**कहानी व भावगीत का समय-**बच्चों को पहल पुस्तिका एवं गतिविधि कैलेण्डर में दिए गए समय-सारणी के अनुसार गतिविधियाँ करायी जाएंगी एवं प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध पाठ्य/खेल सामग्री तथा पुस्तकालय का प्रयोग किया जाएगा।
	30 मिनट	मध्यावकाश।	
	30 मिनट	पोषण ट्रैकर एवं अन्य अभिलेखों को पूर्ण करना।	
मंगलवार	03 घण्टे	शालापूर्व शिक्षा के सत्र के पश्चात निर्धारित समुदाय आधारित गतिविधियां (सी0बी0ई0) ।	
	30 मिनट	मध्यावकाश।	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	30 मिनट	पोषण ट्रैकर एवं अन्य अभिलेखों को पूर्ण करना।

त्रैमासिक गतिविधिः

आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा ई0सी0सी0ई0 में बच्चों का सतत् मूल्यांकन किया जाना है, जिसके परिणाम का त्रैमासिक आंकलन बाल पिटारा ऐप के माध्यम से किया जायेगा।

केन्द्र संचालन का समय- (अ) 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक प्रात: 8.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक (ग्रीष्मकाल में मध्यावकाश 10.30 बजे से 11.00 बजे तक)।

(ब) 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक (शीतकाल में मध्यावकाश 12.00 बजे से 12.30 बजे तक)।

3- जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविका की भूमिका व दायित्व

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गुणवत्तापूर्ण ई0सी0सी0ई0 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविका द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर नियमित कार्यवाही की जायेगी-

- केन्द्र पर प्रतिदिन न्यूनतम 03 घण्टे ई0सी0सी0ई0 गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित कराना।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर विभाग द्वारा दिए गए सभी ई0सीसी0सी0ई0 संसाधन यथा-पहल, वार्षिक गतिविधि कैलेण्डर, बाल गतिविधि पुस्तिका, एन.बी.टी. की कहानी की किताबों का सेट एवं गतिविधि पुस्तिकाओं तथा प्री-स्कूल किट की उपलब्धता एवं उपयोग सुनिश्चित कराना।
- विभाग द्वारा बनाए गए 07 ई0सी0सी0ई0 प्रशिक्षण वीडियो समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों, मुख्य सेविकाओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा देखा जाना सुनिश्चित करना।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं मुख्य सेविकाओं द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों का नियमित रूप से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं निम्नलिखित बिन्दुओं पर अवलोकन करते हुये कार्यकत्री को यथोचित मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा -
  - आंगनवाड़ी केन्द्रों में सभी ई0सी0सी0ई0 संसाधन उपलब्ध हैं।
  - कार्यकत्री द्वारा वार्षिक गतिविधि कैलेण्डर के अनुसार गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।
  - कार्यकत्री द्वारा न्यूनतम 03 घण्टे तक ई0सी0सी0ई0 सम्बन्धी गतिविधियां केन्द्र पर संचालित कराई जा रही हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

- आंगनवाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत 03-06 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों की न्यूनतम 70 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने कुशल मार्गदर्शन में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ई0सी0सी0ई0 गतिविधियों के उपरोक्तानुसार नियमित संचालन कराने का कष्ट करें, जिससे निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप बच्चों में अपेक्षित Learning Outcomes की प्राप्ति सम्भव हो सके।

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
सचिव।

संख्या - 85 /2022/4128(1)/58-1-2022-54-2099/274/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित-

1- महानिदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश ।
2- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनामिका सिंह)
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।